न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 20/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/97

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :—
नीतू पुत्री स्व. जगाराम पत्नी श्री तुलसाराम चौधरी, जाति सीरवी निवासी ग्राम सोनाई मांजी, हाल निवासी 36 ए जनता कॉलोनी पाली व तहसील व जिला पाली (राज.)		1. हीराराम पुत्र स्व. जगाराम जाति सीरवी निवासी सोनाई मांजी, तहसील व जिला पाली (राज.) 2. भंवरी पुत्री स्व. जगाराम पत्नी श्री मेघाराम जाति सीरवी निवासी ग्राम सोनाई मांजी हाल निवासी ग्राम सोडावास तहसील व जिला पाली (राज.) 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव
रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— **27.10.2025**

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 08.06.1992 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव व रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 02 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद मात्र उनके भाई रेस्पो. संख्या 01 व उनकी माता के नाम जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 1992 page no 17, RRT 1992 page no 117, RRT 1992 page no 337, RRT 1992 page no 21 न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत की।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पो. के स्व. पिता जगाराम के स्वर्गवास के उपरान्त परिवार की सहमति से जगाराम के वारिशान के रूप में रेस्पो. संख्या 01 एवं उसकी माता के नाम विरासत का जैर नामान्तरकरण नियमानुसार ही दर्ज किया गया।

साथ ही अपीलाण्ट ने अपनी पूरी पढ़ाई भी रेस्पोडेण्ट के पास रहकर ही सम्पन्न की गई है एवं अपीलाण्ट की सहमति से ही जैर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अतः जैर नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को स्वीकृति के समय से ही होने से जैर अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने भी अपने कथनों के समर्थन में RLW (RJ) 2008 (2) page no 945, RLW (RAJ) 2000 (1) page no 256, 2009 (1) RLW (RJ) 201 न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अंपीलाण्ट का मृतक जगाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है। जिससे प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 जो कि मृतक जगाराम की पुत्रियां है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 08.06.1992 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्री का हक भी होता है, जिससे जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सोनाईमाजी के पारित नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 08.06.1992 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक जगाराम के विधिक वारिसान् की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली